

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर।

क्रमांक : एफ 20 (11) () बा.अ.वि./कि.न्या.अ./कि.न्या.बो./बा.क.स./का.ग्र./15/15566

जयपुर दिनांक 31/7/15

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विषय: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं संशोधित अधिनियम, 2006 की धारा 4 एवं 29 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के मनोनयन हेतु विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत।

प्रसंग: विभागीय जारी विज्ञप्ति पत्रांक 147978 एवं 14869 दिनांक 28.07.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ 1(8)सामान्य/सान्याअवि/2015/29104-204 दिनांक 15.07.2015 के आदेशों के तहत जिला स्तर पर बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाईयों को मर्ज कर दिया है।

निदेशालय बाल अधिकारिता के पत्रांक 147978 एवं 14869 दिनांक 28.07.2015 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं संशोधित अधिनियम, 2006 की धारा 4 एवं 29 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के मनोनयन हेतु वर्णित अर्हताएँ रखने वाले गैर राजकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बाल अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट को दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति में सामाजिक कार्यकर्ताओं के मनोनयन हेतु विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र अपलोड करवाने का श्रम करावें।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

बाल कल्याण समिति में मनोनयन हेतु आवेदन पत्र

1	आवेदक का नाम		नवीन फोटो
2	पिता/पति का नाम		
3	जन्म तिथि		
4	शैक्षणिक योग्यता		
5	व्यवसायिक योग्यता		
6	अन्य योग्यता		
7	वर्तमान व्यवसाय		
8	ऑफिस का पूर्ण पता		
9	निवास का पूर्ण पता		
10	ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर		
11	विज्ञप्ति में अंकित बिन्दू संख्या 1 से 4 में उल्लेखित अर्हताओं में कौन-सी अर्हता रखते हैं, का विवरण दें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
12	आवेदन तिथि को आवेदक द्वारा धारित अर्हता में अनुभव की अवधि दें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
13	आवेदक को उल्लेखनीय कार्य के लिए प्राप्त सम्मान पदक, प्रमाण पत्र आदि यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण दें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
14	क्या आवेदक न्यायालय द्वारा विगत में दोष सिद्ध हो चुका है, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।		
15	क्या आवेदक के विरुद्ध वर्तमान में कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है या पुलिस के पास दर्ज है, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।		
16	क्या आवेदक किसी अनैतिक कार्य या बाल उत्पीड़न के कार्य अथवा बाल श्रमिक के नियोजन में अंतर्वलिप है/रहा है, यदि हाँ तो उल्लेखित करें।		
17	क्या आवेदक इस समिति के कार्य लिए आवश्यक/पूर्ण समय व ध्यान देने के लिए तैयार है।		
18	क्या आवेदक पूर्व में बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष/सदस्य रहे हो, तो उल्लेख करें। (पुष्टि हेतु 10/- रुपये का शपथ पत्र नोटेरी से सत्यापन करवाकर संलग्न करें।)		
19	क्या आवेदक वर्तमान में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत संचालित बाल गृह/आश्रय गृह/दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी का संचालन कर रहे हैं, तो उल्लेख करें।		
20	अन्य (जो आवेदक उल्लेखित करना चाहता है।)		

नोट: दो फोटो कापी संलग्न करें।

संलग्न

आवेदक के हस्ताक्षर

किशोर न्याय बोर्ड में मनोनयन हेतु आवेदन पत्र

1	आवेदक का नाम		नवीन फोटो
2	पिता/पति का नाम		
3	जन्म तिथि		
4	शैक्षणिक योग्यता		
5	व्यवसायिक योग्यता		
6	अन्य योग्यता		
7	वर्तमान व्यवसाय		
8	ऑफिस का पूर्ण पता		
9	निवास का पूर्ण पता		
10	ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर		
11	विज्ञप्ति में अंकित बिन्दू संख्या 1 से 4 में उल्लेखित अर्हताओं में कौन-सी अर्हता रखते हैं, का विवरण दें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
12	आवेदन तिथि को आवेदक द्वारा धारित अर्हता में अनुभव की अवधि दें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
13	आवेदक को उल्लेखनीय कार्य के लिए प्राप्त सम्मान पदक, प्रमाण पत्र आदि यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण दें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
14	बाल कल्याण से संबंधित उपायों की योजना एवं कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से अन्तर्वलिप रहने का विवरण दें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
15	क्या आवेदक न्यायालय द्वारा विगत में दोष सिद्ध हो चुका है, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।		
16	क्या आवेदक के विरुद्ध वर्तमान में कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है या पुलिस के पास दर्ज है, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।		
17	क्या आवेदक किसी अनैतिक कार्य या बाल उत्पीड़न के कार्य अथवा बाल श्रमिक के नियोजन में लिप्त है/रहा है, यदि हाँ तो उल्लेखित करें।		
18	क्या आवेदक इस बोर्ड के कार्य लिए आवश्यक/पूर्ण समय व ध्यान देने के लिए तैयार है।		
19	क्या आवेदक पूर्व में कभी किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति का सदस्य/अध्यक्ष रहे हो, तो उल्लेख करें। (पुष्टि हेतु 10/- रुपये का शपथ पत्र नोटेरी से सत्यापन करवाकर संलग्न करें।)		
20	क्या आवेदक वर्तमान में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत संचालित बाल गृह/आश्रय गृह/दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी का संचालन कर रहे हैं, तो उल्लेख करें।		
21	अन्य (जो आवेदक उल्लेखित करना चाहता है।)		

नोट: दो फोटो कापी संलग्न करें।